दिनांक 27.09.2019
प्रेस विज्ञप्ति 33/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर नगर/थाना फजलगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 08 हजार रू0 नगद**
- **01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.09.2019 की रात्रि को थाना फजलगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोविन्दनगर पुल के पहले पत्थर कांटा के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी मेराज उर्फ भैया घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 08 हजार रू0 नगद, 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना फजलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2019 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फजलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मेराज उर्फ भैया निवासी मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1. लूट के 08 हजार रू0 नगद
2. 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस
3. 01 मोटर साइकिल

<u>जनपद बागपत/थाना खेकडा</u>

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 40 हजार 800 रू0 नगद**
- **01 तमंचा मय 02 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.09.2019 को थाना खेकडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम डूंडाहेडा के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी प्रदीप उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 40 हजार 800 रू0 नगद, 01 तमंचा मय 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 373/2019 धारा 394/307 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त प्रदीप उर्फ कल्लू वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. प्रदीप उर्फ कल्लू निवासी राजीव गार्डन परमहंस विहार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1. लूट के 40 हजार 800 रू0 नगद
2. 01 तमंचा मय 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल

<u>जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी</u>

- **02 शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रू0 कीमत की 345 पेटी अवैध शराब**
- **01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2019 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीरो प्वाइन्ट नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक से 02 शराब तस्करों 1.देवेन्द्र, 2.चन्दकिरन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 25 लाख रू0 कीमत की 345 पेटी अवैध शराब, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने उक्त बरामद शराब गैर प्रान्त से लाना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. देवेन्द्र निवासी राजपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
2. चन्दकिरन निवासी ग्राम राजपुर थाना सिम्भावली जपनद हापुड।

<u>बरामदगी</u>

1. लगभग 25 लाख रू0 कीमत की 345 पेटी अवैध शराब
2. 01 ट्रक आदि

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू</u>

- **शातिर अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 20 हजार रू0 नगद**
- **लूट का लैपटॉप आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2019 की सांय थाना पहासू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना पहासू क्षेत्रान्तर्गत घेराबंदी कर शातिर अभियुक्त 1.नदीम को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 20 हजार रू0 नगद, लूट का लैपटॉप आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ दिनांक 10.08.2019 को पहासू गल्ला मण्डी से लूट की घटना व दिनांक 09.09.2019 को इलाहाबाद बैंक मित्र सौरभ शर्मा से लूट की घटना सहित लूट आदि की कई अन्य घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नदीम निवासी मो0 काजीखेल कस्बा व थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1. लूट के 20 हजार रू0 नगद
2. लूट का लैपटॉप आदि

जनपद सम्भल/थाना गुन्नौर

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधडी कर एटीएम से निकाले गये 15 हजार रू0 नगद**
- **12 एटीएम कार्ड**
- **02 तमंचें 12 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल व 03 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2019 को थाना गुन्नौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बबराला स्टेट बैंक एटीएम के सामने चेकिंग के दौरान 03 शातिर अभियुक्तों 1.शिवम, 2.फैसल उर्फ फैजल, 3.सौरभ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से धोखाधडी कर एटीएम से निकाले गये 15 हजार रू0 नगद, 12 एटीएम कार्ड, 02 तमंचें 12 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल व 03 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि गिरोह के सदस्य एटीएम में खड़े होकर धोखाधड़ी से आम जनता के एटीएम बदलकर तथा एटीएम कोड देखकर एटीएम से से पैसा निकाल लेते हैं और उसी एटीएम कार्ड से खरीदारी करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने एटीएम से पैसा निकालने की 25–30 घटनायें जनपद मुरादाबार, बदायूॅ, सम्भल, अमरोहा, रामपुर आदि जनपदों से कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना गुन्नौर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. शिवम निवासी ईख खेड़ा थाना उधौती जनपद बदायॅू।
2. फैसल उर्फ फैजल निवासी फत्तेपुर डाल थाना कुढ़फतेहगढ़ जनपद सम्भल।
3. सौरभ निवासी ईख खेड़ा थाना उघौती जनपद बदायॅू।

बरामदगी

1. धोखाधडी कर एटीएम से निकाले गये 15 हजार रू0 नगद
2. 12 एटीएम कार्ड
3. 02 तमंचें 12 बोर, 04 जीवित कारतूस
4. 01 मोटर साइकिल व 03 मोबाइल फोन आदि

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मन्सूरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **35 पेटी अवैध शराब**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 स्कार्पियो गाडी बरामद**

दिनांक 26.09.2019 की सांय थाना मन्सूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जोहरा जाने वाले तिराहे पर चेकिंग के दौरान मुजफ्फरनगर से आ रही संदिग्ध स्कार्पियो गाडी को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त राकेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 02 अन्य बदमाश फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 35 पेटी अवैध शराब, 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 स्कार्पियो गाडी बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो हरियाणा व अन्य राज्यों में शराब की तस्करी का काम करता है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ आदि जनपदों में लूट, हत्या का प्रयास, हत्या, अपहरण, आबकारी

अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गुण्ड़ा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 36 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मन्सूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. राकेश निवासी उत्तरी घटायन थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 35 पेटी अवैध शराब
3. 01 स्कार्पियो गाडी

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन</u>

- **04 शातिर चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 हजार रू0 नगद**
- **350 ग्राम अवैध चरस**
- **01 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2019 की सांय थाना थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर 04 शातिर चोर 1.नूर, 2.नौशाद, 3.दिलशाद, 4. इरफान को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 05 हजार रू0 नगद, 350 ग्राम अवैध चरस, 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तो ने चोरी आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. नूर निवासी गली नं0—1 थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद।
2. नौशाद निवासी गली नं0—2 करूला जसराय चौकी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

3. दिलशाद निवासी गली नं0–1 साबुन फक्टरा करूला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।
4. इरफान निवासी गली नं0–1 दौलत बाग थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1. चोरी के 05 हजार रू0 नगद
2. 350 ग्राम अवैध चरस
3. 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **30 लाख रू0 कीमत की 100 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 27.09.2019 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम परसोला के पास मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद अबूजर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 लाख रू0 कीमत की 100 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद अबूजर निवासी परसोला थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–30 लाख रू0 कीमत की 100 ग्राम अवैध मारफीन

जनपद देवरिया/थाना लार

- **शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **13 लाख 60 हजार रू0 कीमत की 156 पेटी अवैध शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 26.09.2019 को सायं थाना लार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना लार क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान शराब तस्कर मनीष जाट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 13 लाख 60 हजार रू0 कीमत की 156 पेटी अवैध शराब व 01 ट्रक बरामद हुयी।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हरियाणा राज्य से अवैध शराब लाकर अन्य प्रांत में बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष जाट निवासी करमगढ़ थाना नखाना जनपद जिन्द हरियाणा।

बरामदगी

1–13 लाख 60 हजार रू0 कीमत की 156 पेटी अवैध शराब

2–01 ट्रक

जनपद देवरिया/थाना तरकुलवा

- **25–25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 04 अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 27.09.2019 को थाना तरकुलवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कंचनपुर तिराहे के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित चार अभियुक्तों 1–राम सिंगार 2–संतोष 3–परतेश्वर 4–प्रभुनाथ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1107/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राम सिंगार निवासी पोखरभिण्डा थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

2–संतोष निवासी पोखरभिण्डा थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

3–परतेश्वर निवासी पोखरभिण्डा थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

4–प्रभुनाथ निवासी पोखरभिण्डा थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

––––